

खादी/प्रार्थी-

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-

पीवाराम पुरु दरगाजी  
मुकदमा नं० १०३० की दोषी  
भीनमाल तहसील भीनमाल

मुमीन्यारी राजकान्त देवान  
जरिए तहसील भीनमाल  
वजौरा (२)

किस्म मुकदमा - सख्तबचाव / प्रार्थना पत्र डा. रमेश चंद्र शर्मा नंबर- ०१/१०/१८ /20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
17/1/2018	<p>डा. रमेश चंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता श्री <u>जयदीप लाल</u> द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> वाबत <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>23-1-2018</u> को पेश हो।</p>	<p>17-1-18</p>
23-1-18	<p><del>डा. रमेश चंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> वाबत <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>23-1-2018</u> को पेश हो।</del></p>	
5-2-18	<p><del>डा. रमेश चंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> वाबत <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>27-2-18</u> को पेश हो।</del></p>	
27/2/18	<p><del>डा. रमेश चंद्र शर्मा की ओर से अधिवक्ता द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> वाबत <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> द्वारा <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए <u>डा. रमेश चंद्र शर्मा</u> तलब होकर मिशाल आयंदा तारीख <u>13/3/18</u> को पेश हो।</del></p>	

सहायक कलेक्टर  
भीनमाल


17-1-18

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

अहमकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

5.4.18 वकुलाथ फर्नीचर हाजीर  
प्रकरण का अवलोकन किया गया  
जायें का प्राथमिक पत्र वाबत हाज्या  
निषेधाज्ञा का अन्वीकार किया जाता  
है किन्तु निषेध अलग ले लिया  
जाकर शामिल मिल किया गया  
व सुनाया गया। पत्रावली  
केवल शुमार होकर नम्बर  
ले कम हो।

  
सहायक कलेक्टर, भीनमाल